इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 सितम्बर 2023–आश्विन 4, शक 1945

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2023

क्र. एफ–1–1–18–0001–2023–sec–पैंतीस (ANH).– भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 57 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के समस्त कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सहायक पशु चिकित्सा फील्ड ऑफीसर, राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश से मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित पशुपालन में द्विवर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के प्रमाणपत्र धारकों को पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के अधीन समस्त प्रकार की लघु पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की अनुज्ञा देती है, जिसमें सम्मिलित है :–

(1) प्रारंभिक पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करना, जिसमें घावों की मलहम पट्टी सम्मिलित है,

(2) टीकाकरण,

(3) बधियाकरण,

(4) कृत्रिम गर्भाधान,

(5) रोगों के निदान हेतु नमूने एकत्रित करना,

(6) फालोअप उपचार,

(7) ऊपर उल्लिखित विषयों पर पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी को सहायता,

(8) कोई अन्य ऐसी सेवाएं, जैसा कि महामारी/आपातकाल की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए.

2. प्रत्येक कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सहायक पशु चिकित्सा फील्ड ऑफीसर तथा पशुपालन में द्विवर्षीय पत्रोपाधि प्रमाणपत्र धारक किसी पंजीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के अधीन ऊपर उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा, जब तक कि राज्य सरकार या मध्यप्रदेश पशु–चिकित्सा परिषद द्वारा भारतीय पशु–चिकित्सा परिषद (पशु–चिकित्सा व्यवसाइयों के लिए वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार का मानक तथा आचार संहिता) विनियम, 1992 के नियम 45 के अनुसार प्रतिबंधित न कर दिया जाए.

No. F-1-1-18/0001/2023-SEC-XXXV(ANH).—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 57 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the State Government, hereby, permits all working and retired Assistant Veterinary Field Officers of Animal Husbandry and Dairy Department, Certificate holders of the two year Diploma course in Animal Husbandry conducted by any State Government or Union Territory recognized University and affiliated colleges, to render under the supervision and direction of a registered veterinary practitioner all types of minor veterinary services which includes :–

(1) Rendering preliminary Veterinary aid including dressing of wounds,

(2) Vaccination,

(3) Castration,

(4) Artificial Insemination,

(5) Sample Collection for diagnosis,

(6) Follow-up treatments,

(7) Assistance to registered veterinary practitioner on above mentioned matters,

(8) Any other such services as may be directed by the State Government during the period of pandemic/ emergency.

2. Every working and retired Assistant Veterinary Field Officer and certificate holders of the two year Diploma course in Animal Husbandry may perform the above mentioned duties under the supervision and direction of a registered veterinary practitioner unless prohibited by the State Government or Madhya Pradesh State Veterinary Council as per Regulation 45 of the Veterinary Council of India (Standard of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics for Veterinary Practitioners) Regulations, 1992.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग चौधरी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2023.